

CENTRAL RAILWAY
EXPRESSION OF INTEREST

EOI NOTICE NO.33/M/CGHS Empanelment/2021

Dt.30/04/2021

INVITATION OF EXPRESSION ON INTEREST (EOI) FROM CGHS EMPANELLED PRIVATE HOSPITALS, BOTH MULTISPECIALITY & SUPERSPECIALITY FOR RECOGNISING THEM FOR TREATMENT OF RAILWAY BENEFICIARIES.

MEDICAL DIRECTOR, DR. BAM Hospital Central Railway, Byculla , Mumbai invites EOI from private hospital, both multispeciality /Super-specialty, located in Mumbai in region (Central/Western/Hourbur) Railway beneficiaries(both serving & retired & their dependents).

The conditions for cashless service are as under:

- 1) In planned cases Railway patient will produce referral form issued by the hospital medical Authorities, along with a Xerox copy of Railway ID (UMID Card) & AADHAR Card.
The authority of patient will be verified as per photo ID attached with referral or as per photo fixed on the referral slip.
- 2) In case of emergency patient can get admitted directly without referral letter, Next day hospital authority will inform the railway hospital above out the patient.
- 3) Patient should be shifted to Dr. B. A. M. Hospital as early as possible when he/she improves.
- 4) Rate to be charged as prevailing CGHS rates (based on the classification of the hospitals- NABH or Non NABH) or the hospital tariff, whichever is lower and for those items/procedure/investigation which are not covered under CGHS or AIMMS rate list, the hospital should, offer 20% discounts for the same on their hospital rates and also free ambulance service to the Railways.
- 5) Recognition will be for a period of two year. After that it can be renewed for further two years at prevailing CGHS rates or till the hospital is empanelled under CGHS, whichever is earliest.
- 6) After treatment is over the bills in duplicate mentioning the page & item no of the procedure will be raised by the hospital to MD/By with whom the MOU will be signed.
- 7) Kindly respond within 21 days from the date of publication of the advertisement and submit your offer on the following address :

Office of the Medical Director
Dr.BAM Hospital, Opp. Ranibagh, Byculla, Mumbai -400027
Closing date of EOI is 28/05/2021

- 8) For the details of the application forms, minimum eligibility criteria, terms & conditions etc. please visit Railway website www.cr.indianrailways.gov.in
For further queries please contact the authority on telephone no. 022-23717246.

Meeha Arora
30/4/2021
MEDICAL DIRECTOR/BYCULLA

चिकित्सा निर्देशक
भारत रेल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
सेमीग्रल अस्पताल, मध्य रेल,
भायखला, मुंबई-४०००२७.
MEDICAL DIRECTOR
Bharat Ratan Dr. Babasheb Ambedkar
Memorial Hospital, Central Railway,
Byculla, Mumbai- 400 027.

Aramp
3/5/21

मध्य रेल.
पसंद की अभिव्यक्ति

इओआइ नोटीस क्र.33 / एम/ सीजीएचएस/पैनल / 2021

दि. 30 / 04/2021

अंतरिम (ईओआई) पर उत्तीर्ण होने का निमंत्रण सीएमएचएस से प्राप्त निजी अस्पताल, रेलवे की बेसिक शिक्षा के लिए प्राप्त होने वाले छात्रों के लिए कई बहुउद्देशीय और सर्वोच्चता।

चिकित्सा निदेशक, डॉ. बी.ए.एम हॉस्पिटल सेंट्रल रेलवे, भायखला, मुंबई निजी अस्पताल से ईओआई आमंत्रित करता है, दोनों मल्टीस्पेशलिटी / सुपर-स्पेशलिटी, क्षेत्र (सेंट्रल / वेस्टर्न / हार्बर) रेलवे लाभार्थियों (सेवारत और सेवानिवृत्त और अन्य आश्रित) दोनों में मुंबई में स्थित हैं।

कैशलेस सेवा की शर्तें निम्नानुसार हैं:

- 1) नियोजित मामलों में रेलवे रोगी अस्पताल के मेडिकल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए रेफरल फॉर्म के साथ-साथ रेलवे आईडी (यूएमआईडी कार्ड) और आधार कार्ड की झेरोक्स कॉपी तैयार करेगा। रोगी के अधिकार को रेफरल के साथ संलग्न फोटो आईडी या रेफरल पर्ची पर तय की गई फोटो के अनुसार सत्यापित किया जाएगा।
- 2) आपातकालीन रोगी के मामले में सीधे रेफरल पत्र के बिना भर्ती किया जा सकता है, अगले दिन अस्पताल प्राधिकरण रोगी के ऊपर रेलवे अस्पताल को सूचित करेगा।
- 3) रोगी को जितनी जल्दी हो सके डॉ बी ए एम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- 4) प्रचलित सीजीएचएस दरों के रूप में वसूला जाने वाला दर (अस्पतालों के वर्गीकरण के आधार पर- एनएबीएच या गैर एनएबीएच) या अस्पताल टैरिफ, जो भी कम हो और उन वस्तुओं / प्रक्रिया / जांच के लिए जो सीजीएचएस या एआईएमएचए दर सूची के तहत कवर नहीं हैं। , अस्पताल को अपनी अस्पताल दरों पर 20% की छूट और रेलवे को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करनी चाहिए।
- 5) मान्यता दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। उसके बाद सीजीएचएस दरों पर या जब तक

अस्पताल को सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, जो भी जल्द से जल्द हो, इसे अगले दो वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

6) उपचार के बाद डुप्लिकेट में बिलों का उल्लेख करते हुए पृष्ठ और आइटम नम्बर के साथ प्रस्तुत करे, आगेकी प्रक्रिया एमडी कार्यालय द्वारा की जाएगी जिनका एमओयू पर हस्ताक्षर है।

7) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर कृपया जवाब दें और अपना प्रस्ताव निम्न पते पर प्रस्तुत करें:-

चिकित्सा निदेशक का कार्यालय

डॉ.बीएएम अस्पताल, रानीबाग के सामने

भायखला, मुंबई -400027

आंतिम तिथि है :- 28.05.2021

8) आवेदन पत्र, न्यूनतम पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों आदि के विवरण के लिए रेलवे की वेबसाइट www.cr.indianrailways.gov.in पर जाएं।

अधिक प्रश्नों के लिए कृपया प्राधिकरण से टेलीफोन नं। पर संपर्क करें। 022-23717246.

Mehra Anand
30/4/2021

चिकित्सा निदेशक

भायखला निदेशक

भास्कर रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
संघीय अस्पताल, मध्य रेल,
भायखला, मुंबई-400027.

MEDICAL DIRECTOR

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar
Mumbai Central Railway,
Mumbai - 400 027.